


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शारान सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2020/9470-85 जयपुर, दिनांक 3-7-2020


आदेश

खरीफ सम्वत् 2076 में दिनांक 30.6.2020 तक पशुशिविर संचालित किये जाने हेतु विभागीय पत्र क्रमांक 3978-96 दिनांक 29.3.2020 द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गये थे। कम वर्षा के मददेनजर जैसलमेर जिले में लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं के संरक्षण हेतु संचालित पशुशिविरों की तिथि तुरन्त प्रभाव से दिनांक 15.7.2020 तक बढ़ाई जाती है।


317/2020
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
- 4 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
- 8 निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
- 9 निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
- 10 निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
- 11 निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, जैसलमेर हनुमानगढ़।
- 12 जिला कलक्टर, जैसलमेर।
- 13 वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
- 14 तकनीकी निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर।
- 15 समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
- 16 प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव